

बिहार स्टेट माइनोरिटीज फाइनेंसियल कारपोरेशन लि० पटना

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975 Fax : 0612-2215994

(Email= bsmfclpatna-bih@gov.in website:www.bsmfc.org)

संख्या:----- नि०/रोजगार ऋण-03-27/21---2019-20

पटना, दिनांक: -----

संशोधित स्वीकृत्यादेश

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना वित्तीय वर्ष 2019-20 के तहत वैशाली जिला के स्वीकृत्यादेश संख्या-2925 दिनांक-20.12.2021 क्रमांक-02 पर अंकित लेडीज कार्नर ट्रेड के लिए ₹ 1,50,000/- ऋण की स्वीकृति दी गई थी। बैंक में पैन कार्ड लिंक नहीं होने के कारण राशि ऋणार्थी के खाते में अंतरित नहीं हो सका। ऋणार्थी के द्वारा आवेदन जमा किया गया है, जिसमें बैंक में पैन कार्ड लिंक करने की पृष्टिकरण की गई है की उसी बैंक के खाते में राशि को अंतरित किया जाए। अतएव पूर्व में निर्गत स्वीकृत्यादेश को निम्न रूप से संशोधित किया जाता है।

Sl. No	चरण सूची क्र०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.6% Processing+ Imboss Charge	Net Payable Amount
1.	11/233	MOSARAT PRAVIN, W/o- MD FAKRE ALAM, Vill. + PO-JAFAR PATTI, Block + PS-RAJAPAKAR, Distt.- VAISHALI-844504, Mob:- 9755160313	A/c No.:- 3405845154, CBIN0282921	LADIES CORNOR	150000	750 + 2030 = 2780	147220
TOTAL					1,50,000	2,780	1,47,220

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है।

ज्ञापक:----- 1919

प्रतिलिपि:- ऋणधारक/ऋण शाखा/ऋण शाखा/(कम्प्यूटर सेल)/लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को

सूचनार्थ एवं आई०टी०मैनेजर को एस०एम०एस भेजने हेतु सूची प्रेषित।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

दिनांक:- 09-06-2022

प्रबंध निदेशक